

कार्यालय कमिशनर, वाणिज्य कर, उ0प्र0

(सचल दल अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: मई, 13 2015

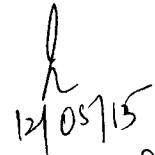
समस्त

एडीशनल कमिशनर ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0)

वाणिज्य कर उ0प्र0,

मुख्यालय से जारी परिपत्र संख्या-25 क ट्रान्जिट पास 2013-14 / 1314105 दिनांक- 20-12-13 का सन्दर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा निर्देशित किया गया है कि अपने जोन के अन्दर संचालित किये जा रहे धर्मकाँटो का निरीक्षण इस आशय से करा लें कि वे पूर्णतः संचालित है अथवा नहीं के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट हो सके तथा इन धर्मकाँटो की जिन रसीदों का विवरण अंकित करते हुए टी0डी0एफ0-2 में अपलोड किया जा रहा है , वह वास्तव में वाहन के माल सहित वहाँ पर पहुँचने पर वजन कराने के बाद अंकित किया जा रहा है अथवा कहीं इसकी आड़ में करापवंचन तो नहीं किया जा रहा है ।

उपर्युक्त के सन्दर्भ में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि कतिपय स्थानों पर बिना धर्मकाँटे का नाम व पता तथा धर्मकाँटे का बिल क्रमांक अंकित किये या धर्मकाँटो का फर्जी विवरण अंकित कर टी0डी0एफ-2 अपलोड हो रहे हैं । अतःआपको निर्देशित किया जाता है कि आप अपने जोन में पड़ने वाले निर्गमन स्थान से सम्बन्धित टी0डी0एफ0-2 के अपलोड विवरणों की जाँच कर यह सुनिश्च करें कि टी0डी0एफ0-2 अपलोड करते समय सही विवरण अंकित किया जा रहा है या नहीं/त्रुटिपूर्ण विवरण के आधार पर खारिज टी0डी0एफ02 के मामलों में नियमानुसार कार्यवाही करायें उपर्युक्त प्रकार से किये जा रहे करापवंचन को रोकने के सम्बन्ध में परिणाम मूलक एवं सार्थक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें ।


12/05/15
(बी0 राम शास्त्री)

एडीशनल कमिशनर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश ।